ISSN 2348-2796

सांस्कृतिक प्रवाह

(शोध पत्रिका)

SANSKRITIK PRAVAH

Research Journal

Volume-2 No.1 February, 2015

Bi- annual Bi-lingual

A Multi Disciplinary Refereed Research Journal
Dedicated to Socio-Cultural Harmony.

अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान, जयपुर

All India Sanskriti Samanvaya Sansthan, Jaipur, Rajasthan

Subscription Rate

Institution & Library	-	Rs. 500/- (Annual)	Rs. 2200 (5 years)
Reseach Scholars/ Students	-	Rs. 200/- (Annual)	Rs. 900 (5 years)
Teachers / Others	-	Rs. 200/- (Annual)	Rs. 900 (5 years)
Single Copy	-	Rs. 125/- (Annual)	

Subscription may be sent by cheques/drafts drawn in favour of
Editor, Sanskritik Pravah, Jaipur

The responsibility for the facts stated, opinions expressed or conclusions reached is entirely that of the authors / contributors and the **'Sanskritik Pravah'** accepts no responsibility for them.

Correspondence and Contact

सांस्कृतिक प्रवाह

803, वेदांग हाईट्स, नन्दपुरी, प्रताप सर्किल के पास,
प्रतापनगर, जयपुर-302033
e-mail : editor.sprj@gmail.com
website : www.sisnet.co.in
Contact : 0141-2973369 (Off.), 09414350711 (Editor)
094143-12288 (Chief Editor)

Published by : Prof. Ashutosh Pant, Secretary
All India Sanskriti Samanvaya Sansthan, Jaipur, Rajasthan (India)
803 Vedang Heights, Nandpuri, Pratapnagar, Jaipur-302033

Printed at : Kumar & Company, Jaipur

ISSN 2348-2796

सांस्कृतिक प्रवाह

(शोध पत्रिका)

वर्ष 2 अंक 1 फरवरी 2015

अर्द्धवार्षिक द्वि-भाषी

सामाजिक एवं सांस्कृतिक समन्वय के लिए
समर्पित एक बहु-विषयात्मक शोध पत्रिका

अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान,

803, वेदांग हाईट्स, नन्दपुरी, प्रताप सर्किल के पास, प्रतापनगर, जयपुर-302033

Sanskritik Pravah

Patron

Sh. Ram Prasad : Guardian, Akhil Bhartiya Sanskriti Samanvaya Sansthan, Jaipur

Editorial Advisory Board

Prof. M. L. Chhipa : Vice Chancellor
A.B. Vajpeyi Hindi University, Bhopal

Prof. Bhagirath Singh : Vice Chancellor
Raffles University, Nimrana (Raj.)

Prof. J. P. Sharma : Rtd. Professor & Head, Deptt. of Economic Admin. & Financial Management, Rajasthan University, Jaipur

Prof. K.G. Sharma : Professor, Deptt. of History & Indian Culture
Rajasthan University, Jaipur

Sh. Mujaffar Husain : Journalist
& Padamshri Awardee, Mumbai

Prof. P. K. Dashora : Professor, Maharana Pratap University of Agriculture &Technology, Udaipur

Dr. Kuldeep Chandra Agnihotri : Director, Himachal Research Institute,
Chakmoh - Hamirpur (H.P.)

Chief Editor

Sh. Ram Swaroop Agrawal : Ex- Principal, Govt. Law College,
Kota & Sriganganagar (Raj.)

Editor

Dr. Vinod Kumar Sharma : Associate Professor & H.O.D., Jyotish Vibhag
J.R. Rajasthan Sanskrit University, Jaipur

Managing Editor

Dr. Jagdish Narayan Vijay : Asstt. Director
Indra Gandhi Panchayati Raj Institution, Jaipur

Editorial Board

Prof. Ashutosh Pant : Director, S. K. Technical Campus, Sitapura, Jaipur

Dr. Sheela Rai : Associate Professor, Deptt. of Pol. Science,
Rajasthan University, Jaipur

Dr. Sunil Asopa : Associate Professor, Deptt. of Law
J.N.V. University, Jodhpur

Dr. Premlata Swarnkar : Lecturer, Geography, Govt. Meera Girls College, Udaipur

अनुक्रमणिका/ CONTENTS

		पृष्ठ संख्या
	सम्पादकीय	7
1.	पौराणिक वंशावलियाँ : मानवीय इतिहास का प्रामाणिक दस्तावेज – डॉ. सूरज राव	9
2.	वैदिक साहित्य में विश्वबन्धुत्व एवं सामाजिक समरसता – डॉ. लम्बोदर मिश्र	16
3.	किशनगढ़ रियासत में कृष्ण–भक्ति: परम्परा और स्वरूप – श्रीमती नमिता चौहान	27
4.	संस्कृत साहित्य में वन्यजातियों का नामकरण – डॉ. मोनिका वर्मा	42
5.	प्राचीन भारतीय चिंतन में मानवाधिकार – प्रो. विभा उपाध्याय	48
6.	भारतीय इतिहास–बोध एवं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन – अमित कुमार रैंकवार	59
7.	राष्ट्र/ राष्ट्रीयता के प्राचीन सन्दर्भों की विवेचना सापेक्षता – डॉ. सुभाष शर्मा	66
9.	Constitutional Safeguard for Scheduled Caste & Scheduled Tribe in India and their Implication in the Context of Globalization – Karn Marwaha	74
9.	Concept of Minority vis-a-vis Minority Rights in Indian Constitution-anAnalytical Study – Prof.Ram Karan Sharma	79
10.	पुस्तक समीक्षा – रामस्वरूप अग्रवाल	98
11.	पाठकीय	100
12.	'सांस्कृतिक प्रवाह' में शोध पत्र लिखने हेतु मुख्य विषय	101
13.	गतिविधियाँ – 1 से 3	104

लेखक परिचय

1. **डॉ. सूरज राव**
पोस्ट डॉक्टराल फैलो, राजस्थानी विभाग,
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) 313001

2. **डॉ. लम्बोदर मिश्र**
सह आचार्य, वेद विभाग,
ज.रा.राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

3. **श्रीमती नमिता चौहान**
विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
श्री भवानी निकेतन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सीकर रोड, जयपुर (राज.)

4. **डॉ. मोनिका वर्मा**
सहायक आचार्य, मौलिक सिद्धान्त विभाग,
डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

5. **प्रो. विभा उपाध्याय**
आचार्य, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

6. **अमित कुमार रैंकवार**
शोध विद्यार्थी, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

7. **डॉ. सुभाष शर्मा**
सह आचार्य, साहित्य विभाग
ज.रा.राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

8. **Karn Marwaha**
Student of LL.M. Semester II,
Gujarat National Law University , Gandhinagar

9. **Prof. Ram Karan Sharma**
Professor & Principal
School of Law, Nims University, Jaipur (Raj.)

10. **रामस्वरूप अग्रवाल**
पूर्व प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय
श्रीगंगानगर (राज.)

सम्पादकीय

'समता' का निर्माण

दलित, जनजातीय तथा पिछड़े वर्ग समुदायों से युक्त भारतीय समाज में 'समता' का निर्माण कैसे हो– यह बड़ा प्रश्न है। संविधान में एक रास्ता बताया गया है– 'कानूनी समता' का। सब लोग एक जैसे कानून के अधीन होंगे। साथ ही जो दलित, जनजातीय तथा पिछड़े वर्ग से हैं उनको विशेष अधिकार देकर, उनके लिए विशेष प्रावधान बनाकर समाज में 'समता' का निर्माण करना।

संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कहना था, ''26 जनवरी, 1950 को हम एक अन्तर्विरोधों से युक्त जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समानता की दुहाई देंगे किन्तु हमारे सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता विद्यमान होगी।'' उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, ''यदि अधिक समय तक हम समानता को स्थापित करने का विरोध करते रहेंगे तो अपने जनतंत्र को ही संकट में डाल देंगे।''

वस्तुत: सामाजिक समता की समस्या उलझी हुई दिखाई देती है।

क्षतिपूर्ति न्याय का सिद्धान्त

मार्क गलैण्टर ने अपनी पुस्तक 'कम्पीटिंग इक्वलिटीज' में समता स्थापित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को 'क्षतिपूर्ति के रूप में किया जाने वाला न्याय' कहा है। वे लिखते हैं, ''अतीत काल से समाज के जो वर्ग पीड़ित और शोषित रहे हैं, उन वर्गों को विशेष राहत देने की भारतीय पद्धति की व्याप्ति तथा विस्तार अभूतपूर्व है। समाज में विभिन्न वर्गों में बद्धमूल विषमता की भावना को समाप्त करने के लिए अनेक योजनाएं बनायी गयी हैं, जिनको मैं क्षतिपूर्ति के रूप में किया जाने वाला भेदभाव कहता हूँ।'' वे निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं, ''सर्वसाधारण समता और क्षतिपूर्ति के न्याय के प्रश्न से जो परस्पर विरोधी मांगें उठ रही हैं, उनकी जटिलताओं को ध्यान में रखकर निर्माण होने वाले संभावित अनिष्ट परिणामों को न्यायालय ही अपने संतुलित निर्णयों के द्वारा टाल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने का जो मूल्य चुकाना पड़ेगा अथवा उसके परिणामस्वरूप जो अपेक्षा भंग होगी उसका सामना करने की पर्याप्त क्षमता का परिचय संभवतया न्यायालय नहीं दे सकेंगे।'' स्पष्ट है कि संविधान, कानून तथा न्यायालयों द्वारा सामाजिक एकता की गुत्थी सुलझाना संभव नहीं हो सकता। प्रसिद्ध समाजशास्त्री आंद्रे बेतई की पुस्तक 'इक्वलिटी एण्ड इनइक्वलिटी थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस' का सार भी यही था कि केवल संविधान में संशोधन करने या कानून बनाने से सामाजिक समता का निर्माण नहीं हो सकता।

समाधान राजनीति से सम्भव नहीं

प्रोफेसर श्यामलाल ने इस संबंध में लिखा है कि ''गरीबों का मसीहा बनकर एक विशिष्ट प्रकार के वक्तव्य देने वाले लोगों के बताये उपायों से यह समस्या हल होने वाली नहीं है।'' वे यह भी कहते हैं कि ''इस समस्या का समाधान न तो उदार गांधीवादी और न ही मार्क्सवादी सांचेबंद विचारों से होने वाला है।'' अपने दलगत स्वार्थों के लिए बयान देने वाले राजनेताओं ने 'सामाजिक विषमता' को बढ़ावा ही दिया है।

दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहाँ 'समता' पर ही बल देने से 'समता' की स्थापना हो गयी हो। प्रसिद्ध विचारक फ्रायर के अनुसार जब शोषित लोग शोषण करने वालों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं तो सामान्यतया उनका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में होता है जो शोषक वर्ग को हटाना तो चाहते हैं लेकिन उनके जीवन मूल्यों से उनका कोई विरोध नहीं होता। वे वर्तमान शोषकों को हटाकर उनका स्थान स्वयं लेना चाहते हैं। आजादी के बाद भारत में सत्ता परिवर्तन कुछ ऐसा ही सिद्ध हुआ। बाद में भी दलित या पिछड़े वर्ग के नाम पर बने दलों के सत्तासीन होने पर इसी कारण से कोई बदलाव नहीं आया। जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति तथा व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर जनता पार्टी को केन्द्र में सत्तारूढ़ किया था। जनता पार्टी का हश्र सभी जानते हैं। इसलिए शोषण करने वाली व्यवस्था के प्रति विद्रोह में से भी समस्या का स्थायी समाधान दिखाई नहीं देता।

पारिवारिक भावना का सिद्धान्त व समरसता

समाज में समता निर्माण का एक प्रयोग कर्मयोगी डॉ. केशवराव हेडगेवार द्वारा किया गया। दलित, जनजातीय व पिछड़े वर्ग की समस्या हिन्दू समाज की समस्या है। अत: वर्ग भेद, जाति भेद आदि का निषेध करने के बजाय 'हम सब एक हैं', 'हम सब एक ही वृहद समाज के सदस्य हैं' की विधायक भूमिका अपना कर परिवार भाव जाग्रत करना। यह सम्पूर्ण समाज ही मेरा परिवार है, अर्थात् समाज में समरसता का भाव जाग्रत करना। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी 25 नवम्बर, 1947 को दिल्ली में दिए अपने एक भाषण में कहा था, ''हम सभी परस्पर भाई हैं। सभी के मन में परस्पर जो आत्मीयता का भाव होता है उसे बन्धुभाव कहा जाता है।'' उन्होंने आगे कहा, ''राष्ट्र भावना के जागरण से ही बन्धुत्व की भावना का निर्माण हुआ करता है। बिना बन्धुभाव के समता और स्वतंत्रता की बातें कोरी बकवास ही बनकर रह जाती हैं।'' सामाजिक समरसता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कभी कहा था कि सामाजिक समरसता के लिए किसी सामूहिक कार्य में सभी की सहभागिता आवश्यक हुआ करती है।

स्वामी विवेकानन्द जब कहते थे कि दीन, दु:खी, दरिद्र तथा अज्ञान में पड़े भारतवासी ही मेरे देवता हैं तो वे समरसता का मंत्र ही दे रहे थे। वेदों में इसी समरसता की भावना को प्रकट करते हुए कहा गया है–

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते।।

अर्थात् हे जगदीश्वर! आप हमें ऐसी बुद्धि दें कि हम परस्पर हिलमिल कर एक साथ चलें, एक साथ एक समान मधुर वाणी बोलें, एक समान हृदय वाले होकर स्वराष्ट्र में उत्पन्न धन धान्य और सम्पत्ति को परस्पर समान रूप से बांटकर उपभोग करें।

तो क्या यह माना जाये कि समता के लिए पहली शर्त 'समरसता' और पारिवारिक भावना है? पाठकगण अपनी प्रतिक्रिया भेजकर इस विमर्श को आगे बढ़ायें–ऐसा आग्रह करता हूँ।

– रामस्वरूप अग्रवाल